



e-Stamp

Certificate No. : IN-UP03313883763216V
 Certificate Issued Date : 02-Sep-2023 10:24 AM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14326804/ MATHURA SADAR/ UP-MTH
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1432680402254636737455V
 Purchased by : SECRETARY SHRINIWAS
 Description of Document : Article 19 Certificate or other Document
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : RAJVEER SINGH SIKARWAR COLLEGE SAIDPUR BALDEO MTR
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : RAJVEER SINGH SIKARWAR COLLEGE SAIDPUR BALDEO MTR
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)



Please write or type below this line



Statutory Alert:

1. The authenticity of the Stamp certificate should be verified at www.e-stamping.com or using e-Stamp Mobile App of Deptt. Holding.
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App should be reported.
3. The onus of checking the legitimacy is on the user of the certificate.
4. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम प्रमोद कुमार (नाम अध्यक्ष) एवं श्रीनिवास (नाम सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव मिथलेश सिकरवार शिक्षा समिति (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता) सैदपुर बल्देव मथुरा, शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं ।

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा राजवीर सिंह सिकरवार कॉलेज (संस्था का नाम एवं पता) सैदपुर बल्देव मथुरा, नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है ।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम ग्राम सैदपुर पो0 बल्देव जिला मथुरा (पता जहाँ पर भूमि स्थित है) मथुरा में गाटा संख्या 1025,1033,1034,646,648,649,660,689,609 एवं रकबा 2.57 एकड़ (कुल रकबा 1.040042 हेक्टेयर) भूमि है ।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है ।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 1025,1033,1034,646,648,649,660,689,609 एवं रकबा क्रमशः 2.57 एकड़ (कुल रकबा 1.040042 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 16-06-2020 द्वारा पारित किया गया है ।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनो का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है ।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है ।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा ।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कटुचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।



ह० सचिव

ह० अध्यक्ष

I file contents of the Affidavit
Read over and explained to the
who is identified by
& on Oath Articles
at my office & noted down in the notarial
Register at No.
and charged Fees Rs.

Mohammed Ali Advocate

Know Shri/Smt.
He Has Sign. (Fus Thum)
Impression (Fus Thum)

2019